अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प.3(IV) आ.कृ./लेखा/विलेप/2018–19/ 4728-4887 दिनांक 25/9/18

1.**निदेशक,**
राज्य, कृषि प्रबंध संस्थान
दुर्गापुरा, जयपुर।

2. **संयुक्त निदेशक कृषि** गु.नि./वनस्पति/पौधव्याधि/कीटनाशी/अवशेष परी0 प्रयोगशाला,दुर्गापुरा जयपुर/राज्य एवं उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा, जयपुर।

3. **समस्त संयुक्त निदेशक**, कृषि (वि0)
खण्ड जयपुर/सीकर/जोधपुर/जालौर/कोटा/उदयपुर/भीलवाड़ा/श्रीगंगानगर/बीकानेर।

4 **संयुक्त निदेशक, कृषि** (तिलहन)
भरतपुर।

विषयः– विभागीय आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना भिजवाने के संबंध में।

प्रसंगः– आयुक्तालय पत्रांक 1412–1572 दिनांक 14.05.2018 एवं 3296–3311 दिनांक 9.07.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयुक्तालय द्वारा बार–बार पत्र लिखने के उपरान्त भी आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा विभागीय आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना आयुक्तालय को नहीं भिजवायी जा रही है, जिससे लम्बी अवधि से बकाया आक्षेपों का निस्तारण समय रहते नहीं हो पा रहा है तथा आक्षेप निस्तारण की गति धीमे स्तर पर बनी हुई है जिससे विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रथम एवं बकाया आक्षेपों की अनुपालना समय पर नहीं भिजवाया जाना राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता का प्रतीक है, जो अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के विभागीय आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवदनों की प्रथम एवं बकाया आक्षेपों (संलग्न सूची के अनुसार) की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना आपकी टिप्पणी सहित आयुक्तालय को अनिवार्य रूप से 15 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करते हुये अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी आवश्यक रूप से सूचित करें। अन्यथा अनावश्यक विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पडेगा।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त,कृषि

क्रमांक प.3 (IV) आ.कृ./लेखा/विलेप/2018–19/ 4727-4887 दिनांक 25/9/18

प्रतिलिपी निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 उपनिदेशक कृषि(वि.)/सहा0 निदेशक कृषि(वि.)/कृषि अनु0 अधिकारी/.............................. को प्रेषित कर लेख है कि आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम एवं बकाया आक्षेपों की ठोस अनुपालना 7 दिवस में संयुक्त निदेशक कृषि कार्यलय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

2. एसीपी को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।

(ऋतु गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार,कृषि